



2026:AHC:2152

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 31814 सन् 2025

पवन निषाद

....याचिककर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: देवेन्द्र सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

श्री देवेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता को आवेदक की ओर से तथा श्री राजेश कुमार सिंह, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (अ.शा.अ.) को राज्य-प्रतिवादियों की ओर से सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत आवेदन आवेदक पवन निषाद की ओर से विचारण की लम्बितता के दौरान उत्तर प्रदेश गुण्डा एवं असामाजिक कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अन्तर्गत महेवाघाट, जिला कौशाम्बी में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 98 सन् 2025 में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे किसी अन्य उद्देश्य से इस प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। पाँच आपराधिक पूर्ववृत्तों की पर्याप्त व्याख्या की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि सह-अभियुक्त बृजलाल, गुलाब निषाद एवं प्रभु उर्फ दीन दयाल को पहले ही इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा क्रमशः दिनांक 24.09.2025, 07.10.2025 एवं 18.09.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 31904 सन् 2025, 29004 सन् 2025 एवं 31989 सन् 2025 में जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा दिए गए जमानत आदेश की नकल अभिलेख में ली जाती हैं।

आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में उल्लिखित किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है। आवेदक का उक्त प्रकरण के अतिरिक्त कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया से भागने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। आवेदक 17.07.2025 से कारागार में है, वचन देता है की अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा यह भी इंगित किया गया कि न्यायालय में भारी लम्बितता के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान अ.शा.अ. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है, पर यह भी कहा है कि इसी तरह के हालात में ऊपर बताए गए सह-आरोपी को इस कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है।

तथ्यों की समग्रता, अभिलेख से प्रतिबिम्बित प्रकृति एवं साक्ष्य पर विचार करते हुए तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मुझे यह जमानत के योग्य प्रकरण लगता है। अतः यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

आवेदक पवन निषाद को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत मुचलका एवं दो विश्वसनीय जमानतदारों, जो समान राशि के होंगे, प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रेरणा, धमकी या वचन देकर उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विरत करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/डर नहीं डालेगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) प्रकरण का उद्घाटन, (ii) आरोप-विरचन, तथा (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अन्तर्गत बयान अंकन हेतु नियत तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजनार्थ सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से प्रकरण के गुण-दोष पर मत का प्रकटन नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर पूर्णतः स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए स्वतंत्र है।

06 जनवरी, 2026

विनोद

(न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव)